न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 555 सन 2018

अनवान :–

1. बनवारी पुत्र कृष्ण जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र भागीरथ जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर
2. सिलोचना पुत्री बनवारी जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर
3. सुषमा पुत्री बनवारी जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा मालिया के खाता संख्या 27/24 के खसरा न0 131 की 11.8280हैक , खसरा न0 169 की 5.6670हैक कुल 17.4950हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा यानी 1.457हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 28/25 के खसरा न0 116/2 की कुल 3.0360 हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जीसुख के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होन पर उनके नाम से दर्ज भूमि उनके पुत्रों पर ओद हुई जिसका विभाजन होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मोजा मालिया के खाता संख्या 27/24 के खसरा न0 131 की 11.8280हैक , खसरा न0 169 की 5.6670हैक कुल 17.4950हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा यानी 1.457हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 28/25 के खसरा न0 116/2 की कुल 3.0360 हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि आई है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उसके नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सां है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने यह भी निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की आपसी सहमत के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा मालिया के खाता संख्या 27/24 के खसरा न0 131 की 11.8280हैक , खसरा न0 169 की 5.6670हैक कुल 17.4950हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा यानी 1.457हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 28/25 के खसरा न0 116/2 की कुल 3.0360 हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का वादी खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official